

Government College Hostel

Serial No. _____

HISAR-125001
ADMISSION FORM FOR HOSTEL
 (To be filled in Duplicate)



Affix your
 Passport size
 Photograph

Name
 Class
 College Roll No. Provisional/Permanent Allotment
 Name of Hostel
 Category Aadhar No.
 Room No. C/D.....
 Date of Admission
 Fee Receipt No.

FOR OFFICE USE ONLY

1. Name of the Student (In Capital letters)
2. Date of Birth
3. Name of father/Mother Guardian (In Capital letters)
4. Occupation
5. Father's Annual Income
6. a) Permanent Address Distance (KM)
- b) Correspondence Address
7. Local Guardian's
 Address (Res.) Tel No.
 (Office) Tel No.
8. Name & Address of Relatives who will be visiting the students
 1. Relation
 2. Relation
 3. Relation
9. NOTE: Visitors allowed will include Father, Mother, Sister, Brother, They will have to submit their Photographs which will be duly attested by warden:
 The Visiting day will be Saturday & Sunday.
10. Have you been in the Hostel before this? Yes/No is Yes, give details:
 Name of the Hostel Room No.
 Previous Class College Roll No.
 Information about the last class passed.

Year	Name of Exam	University Board	Result	Marks Obtained out of	Percentage	Name of the Institution

12. Brother/Sister in the Hostel Name Room No.
 (Attested copies of all certificate and character certificate must be attached)

DECLARATION

- (i) My son/daughter/ward is joining the hostel with my permission. I hereby that the information given above is true. I further declare that I have carefully read the rules and regulations as given in the hostel Prospectus and under taken to abide by them
- (ii) I shall be responsible for his/here hostel behaviour.
- (iii) I shall be responsible for payment of his/her hostel fees and other dues on due dates.

Father's/Guardian's Signature

Student's Signature

Recommended

Admit

Date

Warden's Signature

Principal

TIME TABLE

1. Subject
2. Name of the Teacher
3. Room No.

Days	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Monday								
Tuesday								
Wednesday								
Thursday								
Friday								
Saturday								

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म पर भर कर देना होगा। प्रवेश शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही दिया जायेगा। योग्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।
2. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भोजनालय में भोजन करना अनिवार्य है विद्यार्थी को कम से कम 45 खुराक (Diets) के पैसे देने होंगे। जो विद्यार्थी प्रातः काल या दोपहर का भोजन करेगा उसे पूरे दिन की खुराक के पैसे देने होंगे। किसी कारणवश कॉलेज लगातार आठ दिन से अधिक बन्द रहता है तो उस मास 30 दिना तक नियम लागू नहीं होगा। भोजन का व्यय (Mess Charges) प्रति मास 10 तारीख तक चुकाया जाना आवश्यक है। भोजन का भुगतान आगामी मास की दस तारीख तक हो जाना चाहिए वरना दो रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना बीस तारीख तक और बीस तारीख के बाद पांच रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगेगा। मास के अन्त तक खर्च का भुगतान न होने पर छात्रावास का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और खर्च का भुगतान प्रतिभूति की राशि से कर दिया जाएगा। विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. छात्रावास में नशीले पदार्थ का सेवन नितांत वर्जित है। ऐसा करने वाले विद्यार्थी को छात्रावास से तत्काल निकाल दिया जाएगा।
4. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश से समय अपने माता-पिता/अभिभावक को साथ लाना होगा। छात्राएं अपने स्थानीय अभिभावक को भी साथ लाएं। उन्हें इन सबके छायाचित्र भी कॉलेज में जमा कराने होंगे और केवल वे ही रविवार को 12.00 से 2.00 बजे मिल पायेंगे।
5. किसी भी विद्यार्थी के बिना अनुमति के या विशेष कारण से छात्रावास से लगातार 7 दिन तक अनुपस्थिति रहने पर नाम काट दिया जायेगा।
6. किसी भी विद्यार्थी को साधारणतया अपने पास अतिथि रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रावास के भवन, फर्नीचर तथा अन्य समान को हानि पहुंचाने वालों को हानि की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने सामान की रक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी है।
7. छात्रावास से अवकाश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्वयं विद्यार्थी अधीक्षक को आवेदन पत्र दें।
8. विद्यार्थी छात्रावास के सेवकों से सद्व्यवहार करें। यदि किसी सेवक के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना अधीक्षक को दें।
9. विद्यार्थी को चाहिए कि वे कोई ऐसा कार्य न करें। यदि जिससे दूसरों की पढ़ाई में विघ्न पड़ता हो।
10. कमरों में प्रैस, हीटर, बिजली की राड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। इनका प्रयोग करने पर 100 रु का जुर्माना किया जायेगा। सरकारी पंखे का किराया साढ़े पांच रूपये प्रति मास होगा। बिजली के पंखे तथा बल्ब व ट्यूब के अतिरिक्त बिजली के किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग करना तथा बिजली का दुरुपयोग करना मना है। कमरे से बाहर जाने पर बिजली के उपकरण बन्द कर दें। बिजली बिल विद्यार्थी स्वयं वहन करेंगे।
11. छात्रावास में केवल शाकाहारी भोजन का ही प्रबन्ध होगा।
12. छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन हाजिरी ली जाएगी। अतः उस समय हाजिर होना अनिवार्य है।
13. वार्षिक परीक्षा समाप्त होने पर चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर छात्रावास छोड़ना होगा।
14. महाविद्यालय व छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना आंबटित कक्ष को स्वेच्छ से नहीं बदल सकता है।
15. कोई भी छात्र-छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना आंबटित कक्ष को स्वेच्छ से नहीं बदल सकता है।
16. छात्रों में फूट व विद्वेषभाव उत्पन्न कर सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने छात्र को तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा।
17. छात्रावास के अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्र किसी भी प्रकार की सभा, कार्यक्रम व आयोजन नहीं कर सकते हैं।
18. छात्रावास में 100 वॉट से अधिक वॉट वाले बल्ब का प्रयोग नहीं होगा।
19. छात्रावास शुल्क, बिजली खर्च व भोजन व्यय अदा करने में ढिलाई/अनियमितता बरतने वाले गत वर्ष के छात्र (Old Student) को वर्तमान सत्र में छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा।
20. छात्रावास में लाठी, डंडा, सरिया, हॉकी स्टिक (हॉकी के खिलाड़ियों के सिवाय), साईकिल चैन, चाकू आदि घातक व धारदार हथियार रखना सख्त मना है। उल्लंघनकर्ता को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
21. उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम/नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र को दंडित/छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
22. अपने कमरे में किसी अतिथि या मित्र को ले जाने की अनुमति नहीं है।
23. अभिभावकों की लिखित अनुमति बिना छात्राएं रात को बाहर नहीं जा सकतीं।
24. छात्राएं कॉलेज के पश्चात् सीधी छात्रावास आयेंगी और उन्हें खाली पीरियड में भी कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
25. छुट्टी से वापिस लौटने पर छात्रावास में प्रवेश सायं 4 बजे तक ही दिया जायेगा और उसी समय छुट्टी पत्र भी जमा करना होगा।
26. बुधवार को छात्राएं लिखित अनुमति से दो घण्टे के लिए बाहर जा सकती हैं।
27. रविवार और छुट्टी के दिन छात्राएं बाहर नहीं जायेंगी।

अभिभावक हस्ताक्षर

विद्यार्थी हस्ताक्षर